ૐકાર ફાઉન્ડેશન ટ્રસ્ટ

'માનવસેવા એ જ ઈશ્વરસેવા'

ॐकार फाउण्डेशन ट्रस्ट

वर्ष-6 अंक : 83

सहयोग शुल्क : रु. 1 / नवेम्बर : 2023

दिव्यांग सेतु

संपादक :- संतश्री ॐऋषि प्रितेशभाई

"एच.राधाकृष्णन ने दिव्यांगों के लिए नये मार्ग प्रशस्त किए हैं"

- संतश्री ॐऋषि प्रितेशभाई

"एच.राधाकृष्णन की पहचान दिव्यांगता नहीं पर सभी क्षेत्रों में अदम्य साहस है"

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

निरामय हेल्थ पॉलिसी

पात्रता

- केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही यह पॉलिसी सेरेबल, पाल्सी, ऑटिज्म, मेन्टल रिटार्डेशन, मल्टिपल डिसेबिलिटीसे असरग्रस्त दिव्यांगो को मिल सकती है।
- ४०% अथवा उससे अधिक दिव्यांगता से असरग्रस्त व्यक्ति को इस पॉलिसी का लाभ मिल सकेगा।
- रू. २५०/- बी.पी.एल. एवं रु.५००/- ए.पी.एल. दिव्यांगो के लिए सिंगल प्रीमियम

लाभ

रु. १,००,०००/- तक का इंश्योरेंस मिल सकता है।
(निर्धारित किए हुए फंड के अनुसार)

आवेदन-पत्र के साथ जमा किए जाने वाले प्रमाण-पत्र/दस्तावेज

सिविल सर्फर का दिव्यांगता दर्शाता प्रमाण-पत्र

(ऊपर बताई गई चार बीमारियों में से किसी भी एक का उल्लेख प्रमाण-पत्र में जरुरी है)

- ✓ वर्तमान की पासपोर्ट साइज़ फोटो
- ✓ राशनकार्ड की प्रमाणित कोपी
- ✓ निवास स्थान का प्रमाण (राशनकार्ड अथवा वोटिंग कार्ड)
- ✓ बी.पी.एल. कार्ड (यदि बी.पी.एल. में आते हैं तो)
- ✓ बैंक पासबुक की फोटो कोपी (बैंक IFSC कोड के साथ)

संपादकीय

विकलांगता शरीर में हो सकती है मन में नहीं इस बात को सही साबित कर के पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचनेवाले एच.रामकृष्णन केवल दिव्यांग ही नहीं किंतु सभी लोगों के लिए प्रेरणामूर्ति है । एच.रामकृष्णन जो कि किसी बीमारी के कारण दिव्यांग हो गये थे उन्होंने दस-बीस नहीं लेकिन पूरे चालीस वर्षों से भी अधिक समय से पत्रकारिता जैसे जिम्मेदार व्यवसाय को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाकर लोगों के बीच अपनी अलग पहचान बनाई है । अपने आत्मबल से उन्होंने दिव्यांगता की मुश्किल राह को आसान बना दिया और पत्रकारिता जैसे व्यवसाय के लिए अन्य दिव्यांगों को भी प्रेरित किया है । केवल पत्रकारिता नहीं बल्कि संगीत, अभिनय जैसे कई क्षेत्रों में अपना योगदान देकर अपनी मर्यादाओंकी सीमा को लांधकर सर्वोच्च सफलताएं प्राप्त की है । किसी भी तरह की शारीरिक मर्यादाएं न होने पर भी कई लोग जिन क्षेत्रों के बारे में सोच भी नहीं पाते उन क्षेत्रों में भी रामकृष्णन ने अपना लोहा मनवाया है । रामकृष्णन के इस जज्बे को हम सलाम करते हैं ।

दिव्यांगों का सशक्तीकरण करने के लिए बनाए गए कानून दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के बारे में जितनी भी जानकारी साझा की जाए हमेशा कम लगेगी । इस कानून के बारे में उसकी संभावनाएँ और सही रुप में अगर उसका अर्थघटन ना किया जाए तो क्या हानि हो सकती है इसकी जानकारी भी इस अंक में दे रहे हैं ।

दिव्यांगों के सशक्तीकरण और मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार के स्तुत्य प्रयासों की सराहना करते हैं और साथ ही सरकार के प्रयासों और कानून का उचित रुप से निर्धारण और अमलीकरण हो ऐसी आशा करते हैं ।

दिव्यांग सेतु

मासिक पत्रिका

नवेम्बर : 2023, पृष्ठ संख्या : 16

वर्ष-6 अंक : 83

प्रेरणास्त्रोत और संपादक

मंत्रयुगपरिवर्तक ॐकार महामंडलेश्वर १००८
प. पू. संतश्री सद्‌गुरु ॐऋषि स्वामी ।

सह-संपादक

मिहिरभाई शाह

मो. 97241 81999

संपर्क-सूत्र

सेवा समर्पण फाउण्डेशन

ॐकार फाउण्डेशन ट्रस्ट (NGO)

Trust Reg. No. : E/20646/Ahmedabad

०१, ग्राउण्ड फ्लोर, आंगी एपार्टमेन्ट,

अन्नपूर्णा पार्टी प्लाट के सामने,

नया विकासगृह रोड, पालडी,

अहमदाबाद - ३८०००९

(मो.) 99749 55365, 9974955125

मुद्रक

प्रिन्ट विज़न प्रा. लि.

आंबावाडी बाज़ार, अहमदाबाद-6

Phone : 079 26405200

"एच रामकृष्णन" सफलता की कहानी मिलिए उस शख्स से जिसने अपनी विकलांगता को मात दी और तमिलनाडु के सर्वोच्च पुरस्कार का प्राप्तकर्ता बन गया

मित्रों विकलांगता शरीर में हो सकती है मन में नहीं होनी चाहिए। अगर यदि हमारे मन में विकलांगता नहीं है शरीर में है तो हम अपने आत्मबल से संघर्ष के रास्ते असंभव को भी संभव कर सकते हैं। भारत में ही नहीं विश्व में कई ऐसी महान हस्तियां है, जिन्होंने अपने संघर्ष से अपनी विकलांगता को पछाड़ते हुए विश्व पटल पर अपना नाम रोशन किया है। आज आपके सामने एक ऐसी ही महान हस्ती एच रामाकृष्णन की सफलता की कहानी हैं।

एच रामकृष्णन का जन्म क्रिसमस के दिन 1941 को त्रिवेन्द्रम, केरल, भारत में आर हरिहर अय्यर और विजयलक्ष्मी के घर हुआ था। वे कहते हैं कि

"मेरा जन्म 25 दिसंबर, 1941-क्रिसमस के दिन हुआ था। शायद यही कारण है कि मैं अपनी क्षमता से कहीं अधिक भारी क्रूस ढो रहा हूँ - अपना शरीर। मेरे पिता एक वकील थे (बाद में वे जज बने) और मेरी माँ एक गृहिणी थीं। पहले बच्चे की खुशी और उम्मीदें तब टूट गईं जब मैं दो साल की छोटी उम्र में पोलियो का शिकार हो गई। मेरी मां ने एक भिखारी महिला को अपने विकलांग बच्चे को ले जाते हुए देखा और उन्हें डर था कि कहीं मेरा भी अंत न हो जाए।

जब मेरे सभी सहपाठी दोपहर के भोजन के समय मैदान पर खेलते थे, तो मुझे एकांत से ही संतोष करना पड़ता था। जैसे-जैसे साल बीतते गए, मुझमें मानसिक साहस विकसित होता गया। मैंने अपनी विकृति को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। मुझे लगा कि मैं सामान्य हूं। रामकृष्णन को स्थानीय स्कूलों में प्रवेश से वंचित कर दिया गया। उसके नाना ने तब उसे एक अलग शहर में ले जाने का फैसला किया ताकि वह नियमित स्कूल जा सके। अपने दादा का उनके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव बताते हुए रामकृष्णन कहते हैं, जब मैं छोटा

था तब उन्होंने मुझे वह सारी शक्ति, आश्वासन और प्रेरणा दी जिसकी मुझे आवश्यकता थी। यह जनवरी 1948 था। मैं शायद आठ साल का था। हमें अपने परिवार में पहला रेडियो सेट मिला - एक विशाल PYE वाल्व सेट। मेरे दादाजी नए आने वाले लोगों के सामने बैठकर नौ बजे का समाचार बुलेटिन सुनते थे। निश्चित रूप से यह अद्वितीय मेलविले डी मेलो की आवाज थी। एक रात मैंने उनसे कहा, 'थाथा, एक दिन मैं इस तरह की खबरें पढ़ना चाहता हूं।' मेरे बालों को हल्के से सहलाते हुए उन्होंने कहा, 'मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वह आपकी इच्छा पूरी करने में मदद करें।"

ढाई साल की उम्र में रामाकृष्णन को दोनों पैरों में पोलियो हो गया था, ढाई साल की उम्र में पोलियो से प्रभावित एच रामकृष्णन को जीवन में हर कदम पर संघर्ष करना पड़ा। यहां तक कि जब उन्हें स्कूल जाना होता था तब भी उन्हें स्थानीय स्कूल में दाखिला नहीं मिलता था और उनके नाना उन्हें दूसरे शहर के दूसरे स्कूल में ले जाते थे। यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद जब रामकृष्णन समाचार वाचक, अनुवादक या रिपोर्टर के रूप में ड्यूटी में शामिल होने गए, लेकिन उनकी विकलांगता (उनके दोनों पैरों में पोलियो है) के कारण उन्हें इस पद के लिए स्वीकार नहीं किया गया।

85 प्रतिशत विकलांगता होने के बावजूद, रामकृष्णन बसों से तब तक घूमते रहे जब तक उन्हें एक साइड कार स्कूटर नहीं मिल गया। बाद में वह बजाज ऑटो लिमिटेड द्वारा विशेष रूप से उनके लिए लगाए गए हैंड ब्रेक के साथ एक ऑटोरिक्शा चलाते थे। जब वह सेवा में थे तो एक वरिष्ठ अधिकारी ने रामकृष्णन की गोपनीय रिपोर्ट में इस तथ्य का उल्लेख किया था कि वह शारीरिक रूप से अक्षम थे, लेकिन तब रामकृष्णन तत्कालीन चले गए। राष्ट्रपति वीवी गिरि ने तुरंत आदेश पारित किया कि उनकी गोपनीय रिपोर्ट में उनका मूल्यांकन करते समय इस तथ्य पर विचार नहीं किया जाना चाहिए कि लोग विकलांग हैं।

आज भी एच रामकृष्ण एक सफल पत्रकार महान संगीतज्ञ है । आपने अपनी विकलांगता को कभी हावी होने नहीं दिया। हमेशा से संघर्ष करते रहे और सफलता के शिखर पर आज आपका नाम सफल व्यक्तियों की सूची मे आधार के साथ गिना जाता है।

लोकप्रिय समाचार प्रवर्तक, कर्नाटक गायक और कोनाक्कोल प्रतिपादक **एच. रामकृष्णन** के पास एक पत्रकार के रूप में 40 वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने राज्य संचालित मीडिया दूरदर्शन , ((ऑल इंडिया रेडियो)), प्रेस सूचना ब्यूरो और विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय में विभिन्न पदों पर काम किया है । भारत के तमिलनाडु के लोग आज भी उन्हें एक बहुत प्रसिद्ध न्यूज़कास्टर के रूप में याद करते हैं , जिनकी अलग आवाज़ स्पष्ट रूप से सामने आती थी।

वह कर्नाटक संगीत के प्रचार-प्रसार के लिए दो संगठन आरोहण और श्री भैरवी गण सभा भी चलाते हैं।

वह विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों को श्रवण यंत्र, छड़ी, तिपहिया साइकिल और कैलीपर्स खरीदने में मदद करने के लिए कृपा नामक एक धर्मार्थ ट्रस्ट चलाते हैं।

पत्रकारिता

एक पत्रकार के रूप में राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री जैसे लोगों के साथ बातचीत करने के 40 वर्षों के समग्र अनुभव के साथ, उन्होंने साबित कर दिया है कि कुछ भी असंभव नहीं है। भारतीय सूचना सेवा (आईआईएस) में शामिल होने के बाद, उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो से शुरुआत की, पहले दिल्ली में और बाद में चेन्नई में। एयर इंडिया रेडियो में अपने कार्यकाल के बाद उन्होंने दूरदर्शन केंद्र में काम किया, जिससे उन्हें समाचार वाचक के रूप में 25 साल का अनुभव मिला। वह दूरदर्शन चेन्नई के पहले समाचार वाचकों में से थे। उन्होंने तीन वर्षों तक इंडियन बैंक के जनसंपर्क प्रबंधक के रूप में भी काम किया। अपनी सरकारी सेवा के वर्षों में उन्होंने कई और भूमिकाएँ

निभाईं और सूचना और प्रसारण मंत्रालय में वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी के स्तर तक पहुँचे। 40 वर्षों के समग्र अनुभव के साथ, उन्हें तमिलनाडु सरकार द्वारा सर्वोच्च राज्य सरकार पुरस्कार 'कलईमामणि' से सम्मानित किया गया। सरकारी सेवा में उनके अनुभव के बारे में पूछे जाने पर रामकृष्णन कहते है कि-

"जहां भी मैंने काम किया, मैं खुश था। मैं जहां भी गया, मेरे पास उत्कृष्ट बॉस और सहकर्मी थे। जिस आईआईएस से मैं जुड़ा था, उसने मुझे वस्तुतः दुनिया को देखने, वीआईपी लोगों से मिलने और बातचीत करने और सबसे बढ़कर, आम आदमी के साथ संवाद करने का अवसर दिया।"

तमिल न्यूज़ पर लाइव रिपोर्टिंग करने वाले पहले व्यक्ति एच रामकृष्णन कई लोगों के लिए प्रेरणा के महान स्रोत रहे हैं। उन्होंने श्रीहरिकोटा से रॉकेट लॉन्च करने सहित कई महत्वपूर्ण कार्यों के लिए माइक्रोफोन का उपयोग किया है और पूर्व मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि , मुख्यमंत्री जे जयललिता , दिवंगत राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जैसे राजनेताओं और वीआईपी का उद्धरण के लिए साक्षात्कार किया है।

दूरदर्शन के लिए उन्होंने उद्योगपतियों एन. महालिंगन और एमएएम रामास्वामी, सेम्मनगुडी श्रीनिवास अय्यर , डी. के. पट्टम्मल , अभिनेता जेमिनी गणेशन , थेंगई श्रीनिवासन , प्रेम नजीर , बालचंद्र मेनन , थिक्कुरिसी सुकुमारन नायर , मधु , पत्रकार दिनामलार कृष्णमूर्ति , तुगलक चो रामास्वामी सहित संगीतकारों का साक्षात्कार लिया है।

समाचार पढ़ना

समाचार पढ़ने का उनका शौक तब से शुरू हुआ जब वे स्कूल में थे। उन्होंने महान टिप्पणीकार और न्यूज़कास्टर मेलविले डी मेलो को लिखा , जिन्होंने उन्हें कॉलेज पूरा करने और फिर आकाशवाणी पर समाचार पढ़ने के लिए आवेदन करने के लिए कहा। कुछ वर्षों के बाद, वह आकाशवाणी और फिर बाद में डीडीके में शामिल हो गए और दोनों मीडिया में 25 वर्षों से अधिक समय तक समाचार पढ़ते रहे। वह दूरदर्शन चेन्नई के पहले समाचार पाठकों में से एक थे और संभवतः भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय में वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी के स्तर तक पहुंचने वाले पहले दिव्यांग व्यक्ति थे।

तीन वर्षों तक, वह इंडियन बैंक में जनसंपर्क प्रबंधक भी रहे और इन-हाउस पत्रिका इंडइमेज को निकालने और बैंक की प्लैटिनम जुबली आयोजित करने में भी

महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बैंक अब अपना 100वां साल मना रहा है । दो दशकों से अधिक समय तक समाचार कक्ष में मामलों के शीर्ष पर रहने के कारण, उन्हें समाचार लेखन, रिपोर्टिंग, दृश्य संपादन और जनशक्ति प्रबंधन का गहन ज्ञान है।

उन्होंने कुछ तमिल फिल्मों में अभिनय किया है, जिनमें के बालाचंदर द्वारा निर्देशित ' वानामे एलाई ' नाम की एक फिल्म भी शामिल है। फिल्म सुपरहिट रही थी और एच रामकृष्णन की एक विकलांग व्यक्ति की भूमिका (जो वह वास्तविक जीवन में भी है) जो युवाओं के दिमाग को बदल देता है, जो आत्महत्या करना चाहते थे, ने फिल्म देखने वाले लोगों पर उल्लेखनीय प्रभाव डाला था। इसके अलावा के बालाचंदर की एक अन्य फिल्म में जथी मल्ली एक डॉक्टर के रूप में हैं।

संगीतकार

उन्होंने प्रतिष्ठित संगीत अकादमी, तिरुवैयारु में त्यागराज आराधना , ऑल इंडिया रेडियो और अन्य सभाओं में संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं । एक तालवादक, उन्होंने पलानी सुब्रमण्यम पिल्लई से मृदंगम बजाना सीखा , और वर्तमान में कराईकुडी मणि से सीख रहे हैं। वह कांजीरा बजाते हैं और कोन्नक्कोल (कोन्नाकोल की वर्तनी कोनाकोल) के विशेषज्ञ हैं। (कोन्नक्कोल आम तौर पर कर्नाटक संगीत समारोहों के लिए एक मौखिक संगीत है और एक कोन्नक्कोल कलाकार, मृदंगवादक (ढोलकिया) की तरह एक विशेष प्रकार के लयबद्ध पैटर्न का पाठ करता है)। उनकी इस प्रतिभा को देखते हुए, उन्हें कोन्नक्कोल की कला में उनके योगदान के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा कलईमामणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।वह चेन्नई में श्री भैरवी गण सभा नामक संगीत सभा के सचिव हैं । सभा एसपी बालासुब्रमण्यम, ओएस अरुण, अरुणा सईराम सहित संगीतकारों के संगीत कार्यक्रम आयोजित करती रही है और सभा सचिवों, संगीतकारों और नर्तकियों को पुरस्कार प्रदान करती है।

उनके पास कानून की डिग्री है और वे न्यायाधीशों के परिवार से हैं (वह त्रावणकोर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एच रामकृष्ण अय्यर के परपोते हैं, उनके पिता आर. हरिहर अय्यर जिला और सत्र न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे)। उनके पास मिनरल वाटर प्लांट और दूध प्रसंस्करण संयंत्र जैसे उद्योग शुरू करने और चलाने का अनुभव है और वह परामर्श सेवाएं प्रदान करते हैं।

एक लेखक और शौकीन पाठक

उन्होंने हिंदू धर्म पर कुछ किताबें लिखी हैं। उन्होंने द हिंदू , इंडियन एक्सप्रेस , दिनमणि , कल्कि , तुगलक , चेन्नईऑनलाइन.कॉम के कॉलम में भी योगदान दिया है । उनका विवाह वसंता से हुआ और उनके चार बच्चे हैं।

फिल्मी करियर:

फ़िल्मी करियर और कई लोगों के लिए प्रेरणा बने रामकृष्णन ने कई फिल्मों में भी अभिनय किया है और अपनी सबसे सफल भूमिकाओं में से एक के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि-

मैं के.बालाचंदर की फिल्म, वनमे एलाई (स्काई इज द लिमिट) में अपने अभिनय को सबसे संतुष्टिदायक अभिनय मानूंगा। फिल्म में मेरी भूमिका एक वास्तविक जीवन के चरित्र की थी - एक विकलांग व्यक्ति की। जिंदगी से निराश चार दोस्तों ने अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला किया। लेकिन, मुझे, एक विकलांग व्यक्ति को इतनी खुशी से रहते हुए देखकर, उन्होंने अपनी योजना छोड़ दी। कई लोगों ने मुझे बाद में बताया कि वे मेरी भूमिका से प्रेरित थे।

वह कृपा नामक एक धर्मार्थ ट्रस्ट भी चलाते हैं जो विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों को श्रवण यंत्र, छड़ी, तिपहिया साइकिल और कैलीपर्स प्रदान करके मदद करता है। रामकृष्णन कहते हैं, चूँकि मैं विकलांग हूँ, इसलिए मैंने अपने पीड़ित भाइयों को जितना थोड़ा हो सके उतना लौटाना उचित समझा।

एक ख़ुश आदमी रामकृष्णन का कहना है कि उनके दोस्त और परिवार के सदस्य जीवन के हर कदम पर हमेशा उनके साथ रहे हैं और उन्हें यहां तक पहुंचने के लिए पूरी ताकत और आत्मविश्वास दिया है। अपने जीवन मंत्र के बारे में स्टीफन ग्रेलेट को उद्धृत करते हुए कहते हैं कि-

मैं इस दुनिया से गुजरने की उम्मीद करता हूं लेकिन एक बार। इसलिए जो भी अच्छा काम मैं कर सकता हूं या किसी प्राणी पर कोई दया कर सकता हूं, वह मुझे अभी करने दीजिए। मैं इसे स्थगित या उपेक्षा न करूँ, क्योंकि मैं इस मार्ग से फिर न गुज़रूँगा।

युवा पीढ़ी को संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि-

अपना लक्ष्य ऊंचा रखें. आप जो चाहते हैं उसे हासिल करने के लिए साहसी और साहसी बनें। सफलता आपकी होगी ।

दिव्यांगों का सशक्तीकरण करेगा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016

(पिछले अंक का अनुसंधान)

कानून में नि:शक्त व्यक्तियों के लिये व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्वरोजग़ार पर ज़ोर दिया गया है ताकि उन्हें औपचारिक और अनौपचारिक कौशल प्रशिक्षण की मुख्य धारा में शामिल किया जा सके। विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण का लाभ उठाने के लिये पर्याप्त समर्थन और सर्वाधिक महत्वपूर्ण और पूर्ववर्ती विधेयक से हटकर-नि:शक्त व्यक्तियों द्वारा बनाये गये उत्पादों की मार्केटिंग पर भी ध्यान दिया गया है।

नि:शक्त व्यक्तियों के विरुद्ध क्रूरता और उन्हें अमानवीय व्यवहार से बचाने के लिये नि:शक्तता पर शोध के लिये समिति की पूर्व अनुमति प्राप्त की जायेगी। यह पूर्व की प्रस्तावित आचार समिति का स्थान लेगी। विधेयक के प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाइयों के लिये सुधारात्मक कार्यों की पहचान और सुझाव देने के लिये राष्ट्रीय और राज्य आयोगों के स्थान पर मुख्य आयुक्त और राज्य आयुक्त

नियुक्त किये हैं जो कि उपलब्ध सुरक्षात्मक प्रावधानों की समीक्षा करेंगे और नि:शक्त व्यक्तियों के लाभ के लिये निधियों के इस्तेमाल की निगरानी करेंगे । नि:शक्त व्यक्तियों के लिये एक राष्ट्रीय कोष और राज्य स्तरीय कोष होगा । नि:शक्तता पर सलाह देने के लिये केंद्रीय और राज्य सलाहकार बोर्ड गठित किये जायेंगे । राज्य प्रत्येक जिले में एक विशेष अदालत के तौर पर सत्र न्यायालयों को अधिसूचित करेंगी । पहले से भिन्न, इसके कार्याधिकार क्षेत्र में जम्मू एवं कश्मीर राज्य भी होगा।

नि:शक्त व्यक्तियों की यह एक सामान्य शिकायत रहती है कि प्रमाणन एक बहुत लंबी और परेशान करने वाली प्रक्रिया है और एक राज्य में दिया गया प्रमाणपत्र दूसरे में मान्य नहीं होता है। विधेयक में समयबद्ध (90 दिनों में) नि:शक्तता प्रमाण-पत्र जारी किये जाने अथवा इसे प्रदान न किये जाने के कारण बताये जाने के बारे में प्रावधान किया गया है । सरकार पहले ही अखिल भारतीय विशिष्ट नि:शक्तता पहचान पत्र (यूडीआईसी) प्रदान करने के लिये कदम उठा चुकी है ।

किसी भी कानून को लागू करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, परंतु 2014 के विधेयक में मौद्रिक जुर्माने के प्रावधानों को बरकरार रखते हुए नये विधेयक में कैद के प्रावधान को हटा दिया गया है, जो कि कुछ हद तक ग़ैर-कार्यान्वयन के लिये दंडात्मक उपायों को कम करना है । दूसरी तरफ नि:शक्त व्यक्तियों के लिये किसी भी तरह का लाभ धोखाधड़ी से प्राप्त करने के लिये दंड के तहत दो वर्ष की कैद साथ में एक लाख रुपये का जुर्माना अथवा दोनों किये जा सकते हैं ।

जो भी हो विधेयक में जांचकर्ता का इतिहास है । पूर्ववर्ती नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों की संरक्षा और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 में एशिया और प्रशांत क्षेत्र में नि:शक्त व्यक्तियों के लिये पूर्ण भागीदारी और समानता पर घोषणा को लागू किया है । लेकिन नि:शक्त व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिये संबद्ध पक्षों द्वारा पालन किये जाने वाले सिद्धांतों का निर्धारण करते हुए नि:शक्त व्यक्तियों पर संयुक्त राष्ट्र के समझौते पर 1 अक्तूबर, 2007 को भारत के हस्ताक्षर किये जाने से इस समझौते के प्रावधानों का अनुपालन अंतर्राष्ट्रीय दायित्व बन गया है । यह समझौता 3 मई, 2008 से प्रभाव में आया । समझौते के अनुरूप इसके लिये एक नये विधेयक की अपेक्षा थी ।

इसके अलावा समय के साथ ही नि:शक्त व्यक्तियों के अधिकारों को समझने की अवधारणा स्पष्ट हो गई और नि:शक्त व्यक्तियों से संबंधित मुद्दों की देखरेख के लिये दृष्टिकोण में विश्वव्यापी बदलाव आया । भारतीय अधिकार समूहों ने भी नि:शक्तता अधिकारों पर एक नया कानून बनाने के लिये सरकार पर दबाव बनाया ।

2010 में सरकार ने भारतीय प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात संस्थान, कोलकाता की उपाध्यक्ष डॉ. सुधा कौल की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति की स्थापना की। पैनल ने 2011 में रिपोर्ट पेश की और एक विधेयक का मसौदा तैयार किया। मसौदा विधेयक पर विभिन्न स्तरों पर गहन विचार-विमर्श किया गया जिसमें राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों तथा विभिन्न हितधारकों को शामिल किया गया। बाद में फरवरी, 2014 में, तत्कालीन सरकार ने राज्यसभा में विधेयक को पेश किया जिसे अब पारित कर दिया गया है और कानून का रुप ले चुका है।

कानून में ऐसे कई प्रावधान हैं जिसके लिये कानून के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिये निधियां जारी किया जाना अपेक्षित है, निधियों की आवश्यकता के बारे में कोई अनुमान नहीं है और आशा की जाती है कि राज्य सरकारें निर्बाध सुगम्यता के सृजन सहित विधेयक के प्रावधानों को व्यवहार में लाने के लिये कार्य करेंगी। वित्तीय ज्ञापन में कहा गया है कि ''चूंकि नि:शक्तता संविधान के अंतर्गत राज्य का विषय है, यह भी आशा की जाती है कि राज्यों द्वारा दिया जाने वाला अतिरिक्त समय नि:शक्त व्यक्तियों के लाभ के लिये कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में योगदान करेगा जिससे वे विधेयक के प्रावधानों के कार्यान्वयन में योगदान कर सकेंगी।'

ज्ञापन में सूचीबद्ध की गई कुछेक गतिविधियों में मुफ्त शिक्षा, नि:शक्त बच्चों की पहचान, रियायती दरों पर ऋणों के प्रावधान, पानी, स्वच्छता, सहायता, मनोरंजन केंद्र, सहायक अवसंरचना, विभिन्न भत्तों, बाधा-मुक्त सुगम्यता, सभी नि:शक्त व्यक्तियों के लिये स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजग़ार में पुनर्वास, बस स्टॉपों, रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डा शौचालयों, टिकट काउंटरों आदि में सुगम्यता मानदंडों के अनुरूप सुविधाएं, विभिन्न प्रकार के कार्मिकों के लिये प्रशिक्षण आदि को शामिल किया गया है।

कानून नि:शक्त व्यक्तियों के लिये अधिकार-अनुकूल विधेयन की अत्यधिक अपेक्षित आवश्यकताएं पूरी करता है। यह इस बात से स्पष्ट है कि इसे संसद के दोनों सदनों में सर्व-सम्मत समर्थन मिला है। यह न केवल नि:शक्त व्यक्तियों को सशक्त करता है बल्कि उनकी शिकायतों को हल करने के लिये एक तंत्र भी उपलब्ध कराता है। यद्यपि, केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही स्तर पर इसका कार्यान्वयन एक बड़ी चुनौती है।

(गार्गी परसाई नई दिल्ली स्थित एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, ई-मेल: gargiparsai@yahoo.com, व्यक्त किये गये विचार उनके अपने हैं)

मनोदिव्यांग बच्चों के लिए गरबा का सुंदर आयोजन

अहमदाबाद के अखबारनगर नवा वाडज स्थित स्मित चाइल्ड एज्युकेशन ट्रस्ट के मनोदिव्यांग बच्चों के लिए ओमकार फाइन्डेशन और अन्य संस्थानों के सहयोग से गरबा का सुदंर आयोजन किया गया था । गरबा खेलनेवाले बच्चों में से अच्छा गरबा खेलनेवाले और अच्छा ट्रेडिशनल ड्रेस पहननेवाले दिव्यांग बच्चों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया था । साथ अन्य सभी मनोदिव्यांग बच्चों को टोकन इनाम दिया गया था । प्रोग्राम के अंत में सब के लिए सुंदर भोजन का आयोजन किया गया था । इसे पूरे कार्यक्रम में बच्चों का उत्साह बढ़ाने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लए गुजराती फिल्मस्टार राही राठोड और कशिश राठोड उपस्थित रही थी ।

ગાયત્રી પરિવાર નારણપુરા
ના સંયુક્ત ઉપક્રમે
સ્મિત ચાઇલ્ડ એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ
ઓમકાર ફાઉન્ડેશન | ટેલીકોમ વુમન વેલફેર ઓર્ગેનાઇઝેશ
કરકે દેખો અચ્છા લગતા હૈ
★ ગુજરાત દર્દી લોક કલ્યાણ ટ્રસ્ટ
★ સાથ સહકાર ફાઉન્ડેશન
★ વિ હમ ફાઉન્ડેશન
★ શ્રી કનુભાઈ પરીખ (SBI)
★ શ્રી પ્રકાશભાઈ પટેલ

સ્મિત ચાઈલ્ડ એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ
ગાયત્રી પરિવાર નારણપુરા
ના સંયુક્ત ઉપક્રમે
મનો દિવ્યાંગ ખેલૈયાઓ
મનો દિવ્યાંગ ખેલૈયાઓનાં ગરબા

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर